UPSR010011792026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश**,** श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द

(उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06538)

जमानत आवेदन संख्या- 447/2026

अवधेश तिवारी उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व0 परशुराम तिवारी,

निवासी–ग्राम–दुर्गापुर तराई, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–93/2026
धारा–109 (1), 351(3), 352,238, 3(5)
बी0एन0एस0 व 3/25/27
आयुध अधिनियम
थाना–कोतवाली भिनगा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 15.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **अवधेश तिवारी** की ओर से अपराध संख्या 93/2026, धारा 109 (1), 351(3), 352, 238, 3(5) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा सुयश दत्त त्रिपाठी ने प्रभारी निरीक्षक थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 02.03.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसका पूर्व से जमीन के सम्बन्ध में विवाद प्रतिपक्षी अवधेश तिवारी पुत्र स्व0 परशुराम तिवारी निवासी ग्राम दुर्गापुर तराई थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती से चल रहा था। उस मुकदमें में उन लोगों को डिक्री मिली थी। डिक्री के अनुपालन में कल दिनांक 01.03.2026 को वे लोग लाही काटकर घर लाये थे। आज दिनांक 02.03.2026 को उसके पिता सुनील दत्त त्रिपाठी पुत्र स्व0 कृपाराम उम्र करीब 42 वर्ष गांव के अर्जुन गोस्वामी 40 वर्ष पुत्र सुन्दर गोस्वामी के साथ अपनी मोटरसाइकिल अपाचे से भिनगा तहसील वकील साहब से मिलने गये थे

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.15 16:23:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भिनगा से जैसे ही भयापुरवा मन्दिर के पास आज दिनांक 02.03.2026 को समय 12. 15 बजे दिन में पहुॅचे थे कि सामने से अवधेश तिवारी उपरोक्त अपनी मारूती स्प्रेसो रंग काला से अपने भाई व साथी अभिनव उर्फ सचिन तिवारी पुत्र स्व0 परशुराम तिवारी, बब्लू पुत्र राज किशोर तिवारी, राज किशोर तिवारी पुत्र शिवशंकर उसके पिता के ऊपर पहले गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किये तथा गाड़ी से अवधेश तिवारी व अभिनव तिवारी नाजायज असलहा लेकर उतरे तथा राजकिशोर व बब्लू ने दोनों को ललकारते हुए बोले कि सालो को गोली मार दो एक भी बचने न पाये उनके ललकारने पर अवधेश तिवारी व अभिनव उर्फ सचिन उसके पिता सुनील दत्त त्रिपाठी व गांव के अर्जुन गोस्वामी के ऊपर जान से मारने की नियत से कई राउण्ड गोली चलाये। गोली उसके पिता सुनील दत्त त्रिपाठी के दाहिने हाथ में तथा अर्जुन गोस्वामी के दाहिने पैर के घुटने में लगी है। चिल्लाने पर गांव के व सड़क से आने जाने वाले लोगों ने देखा और बचाने के लिए दौड़े तो उपरोक्त चारों लोग जान माल की धमकी देते हुए तथा फायरिंग करते हुए कार से भिनगा के तरफ भाग गये। गांव के लोगों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिनगा इलाज हेतु भर्ती कराया गया जहॉ दोनों लोगों का इलाज चल रहा है।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त सहित चार लोगों के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 109 (1), 352, 351(3) बी0एन0एस0 2023 में पंजीकृत हुई।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त को फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त तथाकथित घटना से अनभिज्ञ व अंजान है। आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। कथित घटनास्थल पर कई राउंड गोली चलाने की बात सुनील दत्त के पुत्र सुयश दत्त द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बतायी गयी है जबकि कथित फायरिंग के बावजूद तत्काल पहुॅचे यूनिट द्वारा कथित घटनास्थल से कोई खोखा या कारतूस या हथियार बरामदगी नहीं किया गया है। बाद में एक सप्ताह के अन्तराल पर झाड़ियों से बरामदगी दिखायी गयी है जो न तो स्वतंत्र गवाहों द्वारा समर्थित है और न ही उसकी परिस्थितियॉ विश्वसनीय है तथा वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पीछे बैठे अर्जुन गोस्वामी के ऊपर जान से मारने की नियत से दाहिने पैर के घुटने में गोली मारी गयी है जबकि अर्जुन गोस्वामी के मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं आयी है। फारेंसिक और बैलेस्टिक रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन का वैज्ञानिक आधार अभी अधूरा है। अभियोजन का यह कहना कि

अभियुक्त ने फायरिंग की केवल वादी मुकदमा के कथन पर आधारित है जबकि उन कथनों में स्वयं गम्भीर विरोधाभाष है विशेषकर घटना के क्रम, फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान एवं परिस्थितियों को लेकर। आवेदक/अभियुक्त का उक्त अपराध के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि ओवदक/अभियुक्त घटना का मुख्य आरोपी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा ही वादी मुकदमा के पिता सुनील दत्त त्रिपाठी के ऊपर हत्या करने की नियत से फायर किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त शस्त्र बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना है।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना।

6– अपराध संख्या 93/2026, थाना को0 भिनगा से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त को घटना का मुख्य आरोपी बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पिता की हत्या करने की नियत उस पर फायर किया जाना बताया गया है। चिकित्सक द्वारा वादी मुकदमा के पिता सुनील दत्त त्रिपाठी को फायर आर्म की चोट आना अंकित किया गया है। कथित घटनास्थल से एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त के निशानदेही पर झाड़ियों में छुपाकर रखा गया अवैध पिस्तौल बरामद किया गया है। जहॉ तक सह अभियुक्तगण की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने का प्रश्न है तो आवेदक/अभियुक्त का मामला सह अभियुक्तगण से भिन्न है। अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध हेतु अधिकतम दण्ड, अपराध में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त अवधेश तिवारी का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अवधेश तिवारी** द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 93/2026, अन्तर्गत धारा 109 (1), 351(3), 352, 238, 3(5) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती के प्रकरण में

निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती
दि0 15.06.2026